

(36)

(2.27)

प्रारूप-18

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मूलाकोट-काण्डे-भुइया मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
लोहाघाट

वन सत्राधिकारी देवीचरण
रेज देवीचरण
चम्पावत वन प्रभाग

ह0/-
प्रधानमंत्री वनाधिकारी
प्रमाणित वन विभाग चम्पावत

अधिशार, प्रयोक्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
लोहाघाट (चम्पावत)